देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 284 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...बड़ा हिस्सा टीकाकरण के दायरे के बाहर

पेज थ्री

देहरादून, शनिवार, 19 फरवरी 2022

मौसम अधिकतम 20.0° न्यूनतम 8.0° | 40243.40 | 2 महाविनाशक होगी यूक्रेन पर नाटो से जंग | 7 साइमन कैटिच ने दिया इस्तीफा

हाई-स्पीड रेल देश की आवश्यकता

महाराष्ट्र को तोहफा: पीएम मोदी ने नई रेल लाइनों का किया उद्घाटन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया। इसके अलावा वह उपनगरीय रेलवे की दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं भारत के गौरव, पहचान और संस्कृति के रक्षक देश के महानायक के चरणों में प्रणाम करता हूं। जयंती से एक दिन पहले ठाणे–दिवा के बीच नई बनी पांचवीं और छठीं रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबई निवासी को बहुत बहुत बधाई।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जावन में बड़ा बदलाव लाएगी। यह नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब से लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग–अलग रेल लाइन हो जाएंगी। कल्याण से कुर्ला सेक्शन तक मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां बिना अवरोध के चलाई जा सकेंगी। हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कोलाबा और मुंब्रा के परेशानियां भी दूर होंगी। बीते सात साल में मुंबई में मेट्रो का भी विस्तार किया गया है। मुंबई उपनगरीय रेल सेवा को आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है।

400 नई वंदे भारत ट्रेनें होगी शुरू

पीएम मोदी ने कहा कि गांधीनगर और भोपाल के आधुनिक रेलवे स्टेशन रेलवे की पहचान बन रहे हैं। आज 6000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा से जुड़ चुके हैं। वंदे भारत ट्रेनें देश की रेल को गति और आधुनिक सुविधा दे रही है। आने वाले वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें देशवासियों को सेवा देना शुरू करेंगी।

पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टरप्लान तैयार

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अतीत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं सालों–साल तक इसलिए चलती रहती थीं क्योंकि योजना बनाने से लेकर उनको साकार स्वरूप देने तक के काम में तालमेल की कमी थी। इस तरह से 21वीं के सदी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए हमने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टरप्लान तैयार किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगी, उनके जीवन को आसान बनाएंगी। आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं। इनमें से भी अधिकतर वातानुकूलित ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अहम योगदान दिया है। प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुणा बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद–मुंबई हाई स्पीड रेल आज मुंबई की और देश की आवश्यकता है। ये मुंबई की क्षमता को सपनों के शहर के रूप में मुंबई की पहचान को सशक्त करेगी। ये प्रोजेक्ट तेज गति से पूरा हो, ये हम सभी की प्राथमिकता है।

यूपीए सरकार पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने कहा कि बीते सात वर्षों के दौरान मुंबई में मेट्रो का भी काफी विस्तार हुआ है। मुंबई के आसपास के उपनगरीय केंद्रों में भी मेट्रो रेल सेवाएं शुरू की जा रही हैं। पीएम मोदी ने पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2008 में इन लाइनों के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। इस परियोजना को 2015 तक पूरा होना था। सरकार बनने के बाद हमने इस परियोजना पर तेजी से काम करना शुरू किया और इसे पूरा किया जाना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं वर्षों तक चलती थीं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि सरकारों में परियोजनाओं की योजना से लेकर उसे धरातल तक उतारने में तालमेल की कमी थी।

संक्षिप्त समाचार

कोरोना के मामलों में 4800 से ज्यादा की गिरावट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट जारी किया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में आज कोरोना के 25,920 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना से 492 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं, 66,254 मरीज रिकवर हुए हैं। देश में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है।

कवि कुमार विश्वास की बढ़ेगी सुरक्षा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता रहे कुमार विश्वास अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। उधर, केंद्र सरकार अब कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा करेगी। एएनआइ सूत्रों ने ये जानकारी दी है।

हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी, धार्मिक प्रथाओं में नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई लगातार जारी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

बेंगलुरू। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को आगे की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। 14 फरवरी से लगातार बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले कोर्ट में छात्राओं की तरफ हिजाब के पक्ष में दलीलें दी गईं थीं।

कोर्ट ने सभी पक्षों को बारी–बारी से सुन रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम दार ने अदालत को बताया कि अदालत की ओर से व्यक्त की गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पांच छात्राओं की ओर से नई याचिकाएं दाखिल की हैं। अदालत इन पर 21 फरवरी को सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने हाईकोर्ट ने अनुरोध किया है कि सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग प्रतिकूल साबित हो रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी और कहा कि लोगों को सुनने दीजिए कि उत्तर देने वालों का इसमें क्या रुख है। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार का पक्ष यह है कि हिजाब इस्लाम धर्म की आवश्यक धार्मिक मान्यताओं में नहीं आता है। महाधिवक्ता ने कहा कि हिजाब के उपयोग से संबंधित मुद्दे धार्मिक हो गए थे जिसके चलते राज्य सरकार ने दखल किया। विरोध जारी रहा, इसलिए 5 फरवरी का आदेश पारित किया गया था। महाधिवक्ता ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि छात्र–छात्राओं को कॉलेज की ओर से निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए।

उच्च स्तरीय समिति कर रही जांच

हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध का आदेश जल्दबादी में दिया। अदालत ने कहा, एक ओर आप कहते हैं कि मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति कर रही है। दूसरी ओर आप यह आदेश जारी करते हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि किया क्या यह राज्य का विरोधाभासी रुख नहीं होगा? महाधिवक्ता ने इससे साफ इनकार किया।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आया बड़ा फैसला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। बम धमाका प्रकरण में 13 साल बाद आए फैसले में विशेष न्यायाधीश ए आर पटेल ने 7 हजार 15 पेज का जजमेंट सुनाया। बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट की थी।

गौरतलब है कि अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। आपको बता दें कि साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में 56 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे। यह दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन धमाकों की गूंज से हर कोई स्तब्ध था।

सजा

■49 दोषियों को सजा का ऐलान, 38 को फांसी 11 को उम्रकैद

घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

अदालत ने बम धमाकों में मृतकों के परिजनों को 1–1 लाख, घायलों को 50 50 हजार तथा मामूली रूप से जख्मी हुए लोगों को 25–25 हजार का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी जबकि 244 के करीब लोग घायल हो गए थे। घायल हुए व्यक्तियों में अहमदाबाद शहर भाजपा के नेता प्रदीप परमार भी शामिल थे जो अब राज्य सरकार ने सामाजिक एवं न्याय मंत्री बनाए गए हैं।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

वसूली का पैसा वापस करने के निर्देश

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएए मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल किया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध भरपाई के लिए जारी नोटिस को वापस ले लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने

यूपी ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नोटिस लिए वापस

अब तक की गई वसूली को लौटाने के भी आदेश दिए है। हालांकि, कोर्ट ने यूपी सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की आजादी दे दी है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नए कानून ₹उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की छूट दे दी है।

बता दें कि यह कानून 31 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था। बता दें कि सीएए के खिलाफ राज्य में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया था।